भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2939**
दिनांक 12.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

**राजस्थान में पानी की कमी**

**2939. श्री बृजेन्द्र सिंह ओलाः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा देश में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वित की जा रही कार्य योजना का राजस्थान सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि झुंझुनू सहित राजस्थान के अधिकांश जिले पेयजल/कृषि प्रयोजन के लिए जल की कमी से जूझ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रयोजनार्थ कितना बजट आवंटित किया गया है; और
(ग) उक्त जिलों को पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से कार्यान्वित किए जाने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरूआत की। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

राजस्थान सहित पूरे देश में जेजेएम की आयोजना और तीव्र कार्यान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्य संपूर्णता योजना और वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को अंतिम रूप देना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्र का दौरा करना आदि शामिल हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्यसंबंधी दिशानिर्देश; ग्रामीण परिवारों हेतु सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों तथा वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं ताकि जल जीवन मिशन की आयोजना और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया जा सके। ऑनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड की स्थापना की गई है। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन के लिए भी प्रावधान किया गया है।

जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण परिवारों हेतु नल जल की सुविधा का विस्तार करने की दिशा में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरूआत के समय, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 10.12.2024 तक, जेजेएम के तहत लगभग 12.11 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 10.12.2024 की स्थिति के अनुसार, देश में 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.34 करोड़ (79.30%) परिवारों के पास नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

(ख) और (ग) राजस्थान राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राजस्थान में झुंझुनू, चुरू और सीकर जैसे जिलों में भूजल उपलब्धता संबंधी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी ग्रामीण आबादी के लिए पीने योग्य भूजल संसाधनों की कमी है। इस समस्या का समाधान करने के लिए, राज्य ने एक दीर्घकालिक स्थिरता रोडमैप विकसित किया है, जो बांधों और सतही जल स्रोतों का उपयोग करके मेगा जल आपूर्ति परियोजनाओं के माध्यम से 90% आबादी को सतही जल से जोड़ने पर केंद्रित है। इस कार्यनीतिक बदलाव का उद्देश्य राज्य में ग्रामीण आबादी की विश्वसनीय और स्थायी जल तक पहुंच सुनिश्चित करना है।

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, राज्य में 15 अगस्त, 2019 को जेजेएम के शुभारंभ के समय, लगभग 11.68 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, 47.23 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 10.12.2024 तक, राजस्थान में 107.33 लाख में से 58.89 लाख (54.87%) से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे जारी की जाती हैं और उनके जिला-वार निधि ब्यौरे भारत सरकार स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, राजस्थान राज्य हेतु पिछले पांच वर्षों (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24) और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (10.12.2024 तक) के दौरान निधि आवंटन, आहरित निधि और राज्य द्वारा संसूचित निधि उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

| वर्ष | केंद्रीय | | | | | राज्य हिस्से के अंतर्गत व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | अथ शेष | आवंटन | आहरित निधि | उपलब्ध निधि | संसूचित उपयोग | |
| 2019-20 | 313.67 | 1,301.71 | 1,301.71 | 1,615.38 | 620.31 | 686.69 |
| 2020-21 | 995.07 | 2,522.03 | 630.51 | 1,625.58 | 762.04 | 789.05 |
| 2021-22 | 863.53 | 10,180.50 | 2,345.08 | 3,208.61 | 1,919.83 | 1,665.84 |
| 2022-23 | 1,288.79 | 13,328.60 | 6,081.80 | 7,370.59 | 3,935.10 | 4,122.44 |
| 2023-24 | 3,435.49 | 3,019.94 | 250.00 | 3,685.49 | 2,898.54 | 3,904.64 |
| 2024-25* | 786.95 | 11,061.46 | 1,659.22 | 2,446.17 | 2,164.79 | 996.35 |

*स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस* **10.12.2024 की स्थिति के अनुसार*